राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 172 / 2019

1. दाताराम पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. बाला पुत्री श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
3. मिश्री पुत्री श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
4. हंसा पुत्री श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
5. बिमला पुत्री श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
6. मिश्री देवी पत्नी स्व. कैलाश पुत्रवधु श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
7. ज्ञानीराम पुत्र स्व. कैलाश नवीरा श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
8. मनीष पुत्र स्व. कैलाश नवीरा श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचाली तन् प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम प्रतापुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के हाल खाता संख्या 143 में में प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी यथा पिता/ससुर/दादा का नाम भींवा पुत्र बिहारी के स्थान पर श्रीराम पुत्र बिहारीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 143 ग्राम प्रतापपुरा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुन[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभि[illegible] रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन [illegible] स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के हाल [illegible] प्रार्थीगण के हकपू[illegible] यथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

पिता/ससुर/दादा का नाम भींवा पुत्र बिहारी के स्थान पर श्रीराम पुत्र बिहारीलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम प्रतापुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के हाल खाता संख्या 143 में में प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी यथा पिता/ससुर/दादा का नाम भींवा पुत्र बिहारी के स्थान पर श्रीराम पुत्र बिहारीलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:24:41 IST
Reason: SelfAttested